कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ

(जिला परिषद के पीछे, हनुमानगढ–जंक्शन, 335512)

E-mail- ac.hmn.dev@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–लेखा/देव/गोगामेडी/2023/ 122 दिनांकः– 7.2.23

लेखा-निरीक्षण

10/2/23

गोगामेडी मेला क्षेत्र में लगभग 6 माह हेतु अस्थाई दुकानों/भुखण्डों रिक्त भूमि की खुली बोली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी लगभग 7 माह हेतु मौके पर व्यापार करने के लिये दुकानों/अस्थाई भूखण्डों के लिए रिक्त भूमि विभिन्न स्थान/बाजारों में ऑनलाईन निलामी में से शेष रही 78 अस्थाई दुकानो/भुखण्डों के लिए रिक्त भूमि अवधि लगभग 6 माह (दिनांक 22.08.2023 तक) के लिए किराये पर देने हेतु खुली बोली, **देवस्थान विभागीय धर्मशाला, गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ में दिनांक 22.02.2022** को प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक धरोहर राशि जमा करवाई जा सकती है एवं बोली उसी दिवस प्रातः 11.00 बजे से आरम्भ होकर बोली समाप्ति तक की जावेगी।

इच्छुक व्यक्ति/दुकानदार मौके पर स्वयं हस्ताक्षरित आधार कार्ड एवं पेन कार्ड आदि की प्रति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित धरोहर राशि रूपये 10000/–(अखरे रू0 दस हजार मात्र) प्रति दुकान/अस्थाई भूखण्ड एवं समस्त दुकानों/अस्थाई भुखण्डों हेतु राशि रूपये 100000/–(अखरे रू0 एक लाख मात्र) जमा करवाकर बोली में भाग ले सकता है। अन्य विस्तृत विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट www.devsthan.rajasthan.gov.in, dipr.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

शर्तें:–

1. इच्छुक व्यक्ति/दुकानदार मौके पर स्वयं हस्ताक्षरित आधार कार्ड एवं पेन कार्ड आदि की प्रति प्रस्तुत करते हुए, निर्धारित धरोहर राशि रूपये 10000/– (अखरे रू0 दस हजार मात्र) प्रति दुकान/अस्थाई भूखण्ड एवं समस्त दुकानों/अस्थाई भुखण्डों हेतु राशि रूपये 100000/– (अखरे रू0 एक लाख मात्र)जमा करवाकर बोली में भाग ले सकता है।
2. बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रस्तावित बोली राशि के विरूद्ध अनुपातिक अतिरिक्त अमानत राशि, बोली कमेटी की मांग अनुसार जमा करानी होगी, तदानुसार ही अग्रिम बोली जारी रखी जावेगी। किसी बोली में अंतिम बोलीदाता होने के उपरान्त अन्य भूखण्ड की बोली में पुनः अमानत राशि जमा कराने पर ही खुली बोली में भाग लिया जा सकेगा।
3. बोली हेतु दुकानों की सूचि सहायक आयुक्त कार्यालय एवं बोली स्थल (विभागीय धर्मशाला, गोगामेड़ी, तहसील नोहर) पर देखी जा सकती है।
4. कार्यालय द्वारा पूर्व में की गई ऑन–लाईन बोली में जो बोलीदाता जिस भूखण्ड/दुकान में डिफालटर रहा है वह उसी भूखण्ड/दुकान में बोली पर भाग नही ले सकेगा।
5. अंतिम बोलीदाता को भूखण्ड की समस्त बोली/किराया राशि तुरन्त जमा करानी होगी, जमा नही कराने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। विभाग द्वारा वित्तीय प्रावधानों के मध्यनजर बोली राशि नगद/डी.डी. आदि के रूप में प्राप्त की जा सकेगीं। इस संदर्भ में बोलीदाता बोली के समय राशि आदि के लिए उपयुक्त व्यवस्था साथ में रखते हुए, बोली कार्यवाही में भाग लेवें। बोली कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।
6. मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्डो की संख्या व साइज में कमी–बेसी हो सकती हैं। आवंटित/निर्धारित क्षेत्र में ही सीमित रहना होगा, अधिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने पर मौके पर ही शास्ति लगाते हुए दुकानदार का सामान जब्ती कर अतिक्रमण हटाया/बेदखली किया जा सकेगा। बोली की शर्तो में कमेटी की सहमति अनुसार बदलाव किया जा सकता है।

7. बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने एवं किसी भी कार्यवाही हेतु बोली कमेटी का निर्णय मान्य व अन्तिम होगा। निर्धारित दिनांक की बोली कार्यवाही आवश्यकतानुसार निरन्तर आगामी दिवसों तक भी की जा सकेगी।
8. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
9. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 व अन्य संदर्भित नियम, खुली बोली सूचना संबंधी सभी शर्ते लागू होगी।
10. अन्य विस्तृत विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट www.devsthan.rajasthan.gov.in, dipr.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।?

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ

कमांकः–लेखा/देव/गोगामेडी/2022/ 123 (0)/41 05
दिनांकः– 7.2-23

प्रतिलिपि– अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त खुली बोली सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावें, एवं उक्त खुली बोली हेतु प्रधान कार्यालय का प्रतिनिधि नियुक्त करवाने का श्रम करावें।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को सादर सूचनार्थ एवं खुली बोली हेतु आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने बाबत प्रेषित है।
3. श्रीमान वरिष्ठ लेखाधिकारी, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर ।
5. श्रीमान् सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय/ उदयपुर/ऋषभदेव /अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/वृंदावन को सूचनार्थ।
6. तहसीलदार (राजस्व) नोहर/भादरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
7. सरपंच, ग्राम पंचायत गोगामेडी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
8. निरीक्षक, देवस्थान विभाग गोगामेडी।
9. मेनेजर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर चस्पादगी रिपोर्ट प्रेषित करें।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ

क्रमांक - 3038 - दिनांक 20.02.23

महोदय,

संयुक्त निदेशक (S.A.) शासन सचिवालय जयपुर को मूल ही प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाकर कार्यवाही करावें।

Mahendra (SrAO)
20/02/23